गॉव की बेटी योजना

उदेश्य– ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

पात्रता –

1. छात्रा को गॉव का निवासी होना चाहिये (इस योजना के लिये नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा)
2. 12 वी कक्षा गॉव में रहकर गॉव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिये। (60%)
3. जिस सत्र में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।
4. नवोदय विद्यालय से पढ़कर 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रायें अगर उपरोक्त शर्ते पूर्ण करती हैं तो पात्र होगी ।
5. 12 वी कक्षा के पश्चात शासकीय शैक्षणिक संस्थायें,अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है ।
6. छात्रा का निरंतरता के साथ आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।

प्रकिया –

1. प्रत्येक पाठशाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक मैरिट सूची तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी । कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई छात्रायें को गॉव की बेटी का प्रमाण पत्र जारी करेगी ।
2. छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित गॉव का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले गॉव की बेटी के प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय मे आवेदन देना चाहिये।

लाभ –

1. पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शुल्क मे छूट ।
2. छात्रावास मे प्रवेश के लिये प्राथमिकता
3. परम्परागत पाठ्यक्रम हेतु ₹ 500/– प्रतिमाह की दर से (10 माह के लिये) सलाना छात्रवृत्ति
4. तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्रों को ₹ 7,50/–प्रतिमाह (10 माह के लिये) सलाना छात्रवृत्ति ।

(1) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची की छायाप्रति
(2) मोबाइल नं०
(3) पासबुक की छाया प्रति आदि संलग्न करें।

प्रतिभा किरण योजना

उद्देश्य– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

पात्रता –

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय क्षेत्र निवासी परिवार से आने वाली 12 वी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा जिन्होंने 12 वी कक्षा शहर में रहकर उत्तीर्ण की हो ।
2. जिस सत्र में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।
3. स्नातक स्तर पर छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना तथा निरंतरता से अगली कक्षा में प्रवेश लिया जाना आवश्यक होगा ।
4. 12 वी कक्षा के पश्चात शासकीय शैक्षणिक संस्थायें,अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है ।
5. छात्रा को उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।

प्रक्रिया –

1. संबंधित छात्रा द्वारा प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत प्रारूप में आवेदन, नगर निगम/नगरपालिका द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा की अंकसूची को महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी को समयावधि में देना होगा ।

लाभ

1. शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता ।
2. छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता
3. छात्रावास शुल्क में छूट
4. पाठ्यक्रम हेतु छात्रा को प्रतिमाह 500 ₹ (अधिकतम 10 माह) वार्षिक । तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठयकम हेतु 750/– रु प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) प्रति शैक्षणिक सत्र वार्षिक ।

प्रपत्र — 1

फ़ोटो

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
गाँव की बेटी योजना—आवेदन प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला..............................
मध्यप्रदेश।

निवास परिचय—

1 छात्रा का नाम..

2 पिता का नाम माता का नाम

3 जन्म तिथि जन्म स्थान

4 स्थायी पता (गाँव का पता)

तहसील

थाना

जिला

5 जाति........................ सा / पिछड़ा / अनुजाति / जनजाति

6 शैक्षणिक परिचय

7 स्कूल / संस्था का नाम

उत्तीर्ण करने वर्ष	कक्षा	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय
	10 वीं					
	12 वीं					

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा) हस्ताक्षर

(छात्रा के पिता / पति का पूरा नाम)

रसीद

कार्यालय, जनपद पंचायत ..../ जिला.............................

कुमारी / श्रीमती..पिता / पति श्री ....

का पूर्ण आवेदन पत्र ....दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
कार्यपालन अधिकारी

प्रपत्र – 2

गाँव की बेटी योजना हेतु

.....................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्रीमती..

पिता / पति श्री ....ग्राम...

विकास खण्ड..तहसील...

जिला...के निवासी है तथा विगत ....वर्षों से ग्राम

में निवास कर रहे हैं।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
पंचायत सचिव सरपंच

C:\Documents and Settings\che\Desktop\GKBorder89.doc

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय राऊ
गुरुकुल परिसर, रंगवासा रोड़, इन्दौर (म.प्र.)

दिनांक 22.12.2020

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में अध्यनरत सत्र 2020-21 प्रथम वर्ष की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्राएँ गांव की बेटी/प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहती है ऑनलाईन आवेदन भरकर महाविद्यालय में निम्न प्राध्यापकों को जमा करें:-

बी.एससी.	-	प्रो. हेमलता ठाकुर
बी.ए.	-	श्रीमती रितु वर्मा
बी.कॉम.	-	सुश्री सृष्टि शुक्ला

नोटः-

1. गांव की बेटी/प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना की पात्रता, प्रक्रिया, लाभ एवं आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. आवेदन पत्र पर मोबाईल नम्बर अवश्य लिखे।

संलग्न प्रपत्रों की सूची

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र।
2. 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची की छायाप्रति।
3. सरपंच का प्रमाण पत्र।
4. शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र।
6. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
7. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
8. आधार कार्ड की छायाप्रति।

आज्ञा से
प्राचार्य

प्रपत्र – 4

चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती...

पिता/पति..इस ग्राम...

विकास खण्ड ....तहसील...

जिला..के अंतर्गत 12 वीं परीक्षा वर्ष..................................में

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इन्हें स्कूल की चयन समिति द्वारा गाँव की बेटी के रूप में चयन किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी नियम, 2008 की कंडिका–1.6 एवं 2.4 के अनुसार इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

स्थान...............
दिनांक........

हस्ताक्षर/पदमुदा सहित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत......

प्रपत्र – 3

गाँव की बेटी योजना हेतु शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र

.....................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्रीमती...

पिता / पति श्री ....इस विद्यालय में वर्ष...............................से नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, तथा अभिलेखों के अनुसार इन्होंने 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है

स्थान :...............................

दिनांक :...............................

प्राचार्य के
हस्ताक्षर / पदमुद्रा
सहित